प्रश्नोत्तर

प्रश्न–1– यूजर टाइप से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर– इस पोर्टल पर निम्नांकित तीन प्रकार के यूजर टाइप हैं :–

- यदि आपको कोविड–एम.आई.एस. (Covid MIS User) से सम्बन्धित डाटा की एन्ट्री करनी है तो आपको कोविड–एम.आई.एस. (Covid MIS User) यूजर का चयन करना होगा।
- यदि आपको राजस्व एम.आई.एस. (Revenue MIS User) से सम्बन्धित डाटा की एन्ट्री करनी है तो आपको Revenue MIS User का चयन करना होगा।
- Revenue MIS User द्वारा भरे गये डाटा को अप्रूव (Approve) करने के लिए अथवा वार्ड एवं जोन की एन्ट्री करने के लिए Review Officer (Revenue) का चयन करना होगा।

प्रश्न–2– Revenue MIS User से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर– Revenue MIS User समस्त नगर निकायों में सम्पत्ति कर वसूली एवं करेत्तर मदों की वसूली से सम्बन्धित प्रारूपों की ऑनलाइन मासिक MPR की एन्ट्री करने के लिए अधिकृत होंगे।

प्रश्न–3– Review Officer (Revenue) से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर– Revenue MIS User द्वारा भरे गये सम्पत्ति कर वसूली एवं करेत्तर मदों की वसूली से सम्बन्धित प्रारूपों का अवलोकन कर सत्यापन करने के लिए अधिकृत होंगे।

प्रश्न–4– Review Officer (Revenue) कौन होगा ?

उत्तर– नगर निगमों में मुख्य कर अधीक्षक (Chief Tax Assessment Officer), नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में अधिशाषी अधिकारी (Executive Officer) ही Review Officer (Revenue) होगें।

प्रश्न–5– राजस्व–एम.आई.एस. यूजर (Revenue MIS User) के लिए पासवर्ड क्या होगा ?

उत्तर– राजस्व–एम.आई.एस. यूजर (Revenue MIS User) एन्ट्री करने के लिए वर्तमान में प्रयोग किये जा रहे Covid MIS User वाले पासवर्ड से पूर्व rev को जोड़कर बने पासवर्ड का प्रयोग कर एन्ट्री की जायेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत पहलीबार लॉग–इन करने के पश्चात् अपना पासवर्ड बदल लें।

नोट– यदि वर्तमान में **Covid MIS User** का पासवर्ड 123456 है तो **Revenue MIS User** के लिए पासवर्ड **rev123456** का प्रयोग किया जायेगा (यह केवल उदाहरणार्थ है)।

प्रश्न–6– Review Officer (Revenue) के लिए पासवर्ड क्या होगा ?

उत्तर– नगर निगमों में मुख्य कर अधीक्षक (Chief Tax Assessment Officer) का मोबाइल नम्बर तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में अधिषाशी अधिकारी (Executive Officer) का मोबाइल नम्बर ही पासवर्ड होगा। सुरक्षा के दृष्टिगत पहलीबार लॉग–इन करने के पश्चात् अपना पासवर्ड बदल लें।

प्रश्न–7– जोन एवं वार्ड की एन्ट्री किस प्रकार से होगी ?

उत्तर– Review Officer (Revenue) साफ्टवेयर में दिये गये मास्टर फार्म के माध्यम से सम्बन्धित निकाय के जोन तथा वार्ड की एन्ट्री कर सकते हैं। यदि किसी निकाय में जोन नहीं है तो जोन नम्बर एवं जोन के नाम में – की एन्ट्री की जायेगी।

प्रश्न–8– भरे गये डाटा में संशोधन कैसे करें ?

उत्तर– राजस्व–एम.आई.एस. यूजर (Revenue MIS User) भरे हुए डाटा में तब तक संशोधन कर सकता है जब तक कि Review Officer (Revenue) ने डाटा को अप्रूव (Approve) न किया हो। यदि एक बार अप्रूव (Approve) कर दिया जायेगा तब डाटा में किसी भी प्रकार का संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

प्रश्न–9–मुख्यालय (Directorate) पर डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्या कार्यवाही जरूरी है ?

उत्तर– राजस्व एम.आई.एस. यूजर (Revenue MIS User) द्वारा भरे गये डाटा को Review Officer (Revenue) द्वारा अप्रूव (Approve) करते ही डाटा मुख्यालय पर स्वतः प्रदर्शित होने लगेगा।